

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी


श्री शंकरा राम गुजरा व श्री जंगल राम वर्मा वनाम (1) लक्ष्मी बहादुर गुजमालानी
 (1) जाति कलानी वि. माखरपुरा गुजमालानी

किस्म मुकदमा 31/1/21 आवेदन अदि. मुकदमा नम्बर 126/21

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	--


24/9/21

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री जंगल राम - पौधरी
 ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान
 काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज
 रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर
 पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/10/21 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 गुजमालानी

12/10/21


पत्रावली का उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड में
 केस माखरपुरा पेश हुई। यदि चारक लक्ष्मी
 गुजमालानी के रिकॉर्ड में नहीं यदि चारक लक्ष्मी
 गुजमालानी के रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड में नहीं
 12/10/21 पेश कर रिकॉर्ड में दिनांक 12/10/21
 नया नया नया नया नया नया नया नया नया नया
 2.6709 व रकम 733 रकम 0.3480 हेक्टेयर
 की लक्ष्मी राजस्व का रिकॉर्ड द्वारा नहीं की जाय
 2-उत्तर दिशा द्वारा नया नया नया नया नया
 नहीं है उक्त प्रकरण के लक्ष्मी गुजमालानी की
 रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड में नहीं
 की रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड में नहीं रिकॉर्ड में नहीं


 (प्रसाद कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी, गुजमालानी
 सिणधरी



तारीख
हुक्म

राजस्व के एक तद्विधि 1956 की
 धारा 2 के अन्तर्गत की गई है।
 प्राचीन पत्र नमूने के द्वारा 131,136 Rupee
 अर्थात् कर रकम के लिए (आकृति 2)
 पत्रावली विधि द्वारा दोहरा इन्सुल
 उपर है


 (प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
 शिविर प्रभारी
 प्रशासन गांवों के संग अधिवान 2021
 पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल